न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

(3)

उनवान

सरकार – अपीलार्थी

बनाम

श्री भंवरसिंह पुत्र फूलसिंह राजपूत, निवासी जीतकीपुर, तहसील व थाना नादौती – प्रत्यर्थी

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–02.03.2021

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री भंवरसिंह पुत्र फूलसिंह राजपूत, निवासी जीतकीपुर, तहसील व थाना नादौती ने, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश दिनांक 13.05.2010 जिसके द्वारा उनका शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, के विरुद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अपील संख्या 01/2011 प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा उक्त अपील में दिनांक 28.02.2011 को निर्णय पारित करते हुये श्री भंवरसिंह राजपूत की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि श्री भंवरसिंह राजपूत को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर श्री भंवरसिंह राजपूत को व्यक्तिगत तलब किया जाकर वकालतन/असालतन सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। थानाधिकारी, थाना नादौती से प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

थानाधिकारी, थाना नादौती ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 3303 दिनांक 11.09.2020 से अवगत करवाया है कि श्री भंवरसिंह के विरुद्ध वरुवे रिकार्ड थाना हाजा पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। शस्त्र थाने में जमा है। शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी श्री भंवरसिंह की मृत्यु हो चुकी है। अंत में उक्त आवेदक के शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किये जाने में उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना बताया है।

प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी श्री भंवरसिंह पुत्र फूलसिंह जाति राजपूत की मृत्यु हो चुकी है। चूंकि किसी मृत व्यक्ति के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल नहीं किया जा सकता। अतः श्री भंवरसिंह पुत्र फूलसिंह जाति राजपूत निवासी जीतकीपुर, तहसील व थाना नादौती जिला करौली को शस्त्र 12 बोर DBBL No. 34856 के लिए जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 2/S.D.M./87 (844/DM/KLI) को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक, करौली व प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट, करौली को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली